न्यायालयः— राधेश्याम ध्रुव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलौदाबाजार

जिला— बलौदाबाजार भाटापारा, (छ0ग0)

दा0प0क्रं0—816 / 2023
संस्थित दि0—10 / 11 / 2023
CNR-CGBB-02-005622-2023

चन्द्रकुमार बघेल पिता श्री शौकीलाल बघेल उम्र 31 वर्ष
वर्तमान निवासी बलौदाबाजार थाना बलौदाबाजार
जिला— बलौदाबाजार भाटापारा, (छ0ग0)..**परिवादी**

/ /विरूद्ध/ /

रेखराज खेलवार पिता श्री गोवर्धन दास
निवासी— ग्राम हाउस नंबर 201 ब्लॉक नंबर 4—ए विंग
पुलिस हाउसिंग कालोनी अमलीडीह रायपुर
जिला— रायपुर, (छ0ग0) ....**अभियुक्त**

———————————————————————————————————————

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 05 / 03 / 2025 को घोषित)

01— परिवादी चन्द्रकुमार बघेल द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त रेखराज खेलवार के विरूद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा—138 के तहत् आरोप है, कि अभियुक्त रेखराज खेलवार ने परिवादी चन्द्रकुमार बघेल को व्यक्तिगत संव्यवहार के दायित्व से उन्मोचित होने के लिए दिनांक—27 / 09 / 2023

को भारतीय स्टेट बैंक शाखा माना केम्प रायपुर में संधारित अपने खाते में से चेक कमांक—877355 ₹ 5,90,000/— अक्षरी पांच लाख नब्बे हजार रूपये परिवादी को दिया था, जिसे भुगतान हेतु दिनांक 13.10.2023 को भारतीय स्टेट बैंक शाखा गार्डन चौक बलौदाबाजार में जमा करने पर अपर्याप्त निधि के कारण अनादरित हो गया। जिस पर परिवादी ने उक्त राशि की भुगतान हेतु अभियुक्त को विधिवत नोटिस दिये जाने के बाद भी अभियुक्त ने चेक राशि का भुगतान नहीं किया।

02— परिवादी चन्द्रकुमार बघेल की ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र इस प्रकार हैं कि अभियुक्त और परिवादी दोनो पुलिस विभाग में पदस्थ होने से पूर्व परिचित है तथा पैसों का लेन देन होते रहा है। इसी विश्वास पर अभियुक्त ने दिनांक 03/06/2022 को परिवादी से 5,00,000/— रूपये चेक कमांक 774564 के माध्यम से तथा 90,000/— रूपये नगद प्राप्त किया और दिनांक 03.08.20222 तक वापस करने का वचन दिया। नियत समयावधि में अभियुक्त द्वारा ऋण राशि अदा नहीं करने पर परिवादी ने आरोपी का हस्ताक्षरित चेक कमांक 877355

दिनांक 27/09/2023 राशि 5,90,000/— को अपने बैंक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बलौदाबाजार में भुगतान हेतु दिनांक 13.10.2022 को जमा करने पर बैंक द्वारा इस टीप के साथ चेक वापस कर दिया कि चेक जारीकर्ता के खाता में पर्याप्त राशि नहीं है।

03— परिवादी का आगे परिवाद है कि धनादेश अनादरित होने की विधिक सूचना दिनांक 16/10/2023 आरोपी को देने पर भी चेक राशि परिवादी को अदा नहीं की गयी। इस प्रकार परिवादी को विहित अवधि में चेक राशि का भुगतान प्राप्त न होने पर नियत अवधि के भीतर शपथ पत्र सहित परिवाद पत्र पेश किया गया।

04— अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इंकार किया तथा प्रतिरक्षा चाहा है। धारा—313 द0प्र0सं0 के तहत अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयं को निर्दोष बताते हुए बचाव का अवसर देने पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

05— <u>उपरोक्त परिस्थिति में प्रकरण के समुचित निराकरण के लिए निम्न विचारणीय बिंदुओं पर निष्कर्ष आवश्यक हो जाता है :—</u>

(1) '' क्या अभियुक्त ने परिवादी को किसी दायित्व के उन्मोचन के लिए भारतीय स्टेट बैंक शाखा माना रायपुर में संधारित अपने खाते में से चेक कमांक—877355 ₹ 5,90,000/—रू. अक्षरी पांच लाख नब्बे हजार रूपये दिनांक 27/09/2023 प्रदान किया था ? ''

(2) '' क्या परिवादी ने धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत विहित समय अवधि में चेक को समाशोधन हेतु बैंक में प्रस्तुत किया था, जो पर्याप्त निधि न होने के टीप के साथ अनादरित हुआ ? ''

(3) '' क्या परिवादी ने धारा 138 एवं 142 परकाम्य लिखत अधिनियम के द्वारा कमशः अभियुक्त को सूचना दिये जाने एवं परिवाद प्रस्तुत करने की विहित समयावधि का पालन कर परिवाद प्रस्तुत किया है ? ''

(4) '' क्या अभियुक्त द्वारा परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 एवं 139 के अंतर्गत उसके विरूद्ध की जाने वाली उपधारणा का खण्डन किया जा सका है ?''

: विचारणीय प्रश्न कमांक 2 एवं 3 पर सकारण निष्कर्ष :

06— परिवादी चन्द्रकुमार बघेल (प0सा0—1) का शपथ पर साक्ष्य है, कि आरोपी से आपसी जान पहचान होने के कारण आरोपी के निवेदन पर घरेलू आवश्यकता हेतु दिनांक 03/06/2022 को 5,00,000/—पांच लाख रूपये चेक कमांक 774564 द्वारा, तथा रूपये 90,000/— नब्बे हजार नगद प्रदान किया था जिसे दिनांक 03/08/2023 तक अदा करने को कहा था। नियत समयावधि में परिवादी को ऋण राशि अदा न करते हुए अभियुक्त ने अपने स्वहस्ताक्षरित एक चेक कमांक 877355 दिनांक 27/09/2023 को राशि 5,90,000/— प्रदर्श पी—**4** परिवादी को प्रदाय किया, जिसे परिवादी द्वारा अपने बैंक में संग्रहण हेतु दिनांक 13.10.2022 को जमा करने पर बैंक द्वारा अनादरित मेमो दिनांक 13.10.2023 प्रदर्श पी—**5** में इस टीप के साथ वापस किया गया कि आरोपी के खाता में पर्याप्त निधि नहीं है। उक्त अनादरण पर परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक विधिक नोटिस दिनांक 16/10/2023 पंजीकृत डाक प्रदर्श पी—**6** प्रेषित करने पर भी आरोपी द्वारा चेक राशि

अदा नहीं किया गया।

07— उक्त साक्ष्य के संदर्भ में परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज का परिशीलन किया। परिवादी ने चेक कमांक 877355 दिनांक 27/09/2023 प्रदर्श पी0—**4** को स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा बलौदाबाजार में आहरण हेतु जमा किया था जो अपर्याप्त निधि होने के कारण दिनांक 13.10.2023 को परिवादी को वापस हो गया, जो प्र0पी0—**5** से स्पष्ट होता है। अनादरित होने के बाद परिवादी ने पत्र दिनांक 16/10/2023 को पंजीकृत डाक द्वारा अभियुक्त को इस आशय से सूचित किया है कि नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर चेक की रकम अदा नही किये जाने पर वह परिवाद दायर करेगा। जो डाकघर का रसीद प्रमाण प्र0पी0—**6** से प्रमाणित होता है। अभियुक्त को उसके उल्लेखित पते पर प्रेषित डाक दिनांक 19/10/2023 को प्राप्त होना आर्टिकल —1 डाक ट्रेक रिपोर्ट से दर्शित है। इस प्रकार अभियुक्त को 15 दिवस का अवसर देने के पश्चात 30 दिनों के भीतर परिवादी द्वारा यह परिवाद अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 10/11/2023 को पेश किया गया, जो विहित समयावधि है।

08— अभियुक्त ने अपने बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाए जाने का कथन किया है किन्तु अभियुक्त ने अपने कथन के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किया है। अभियुक्त द्वारा प्रार्थी के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया और न ही युक्तियुक्त रूप से यह साबित किया गया है, कि सूचना प्राप्ति के 15 दिनो के भीतर उसने परिवादी को उल्लेखित रकम प्रदान कर दिया था या अपने खाते मे रकम जमा करने करने के पश्चात इसकी सूचना परिवादी को दी गयी थी। उपरोक्तानुसार यह उपधारणा करने का आधार बनता है, कि अभियुक्त द्वारा सूचना प्राप्त होने के 15 दिनो के भीतर सूचना मे उल्लेखित रकम परिवादी को प्रदान नही किया गया। इस प्रकार परिवादी के द्वारा धारा 138 एवं 142 परकाम्य अधिनियम के प्रक्रिया का पालन किया जाना प्रमाणित होता है जिसका खण्डन अभियुक्त की ओर से नही किया हैं तद्नुसार **विचारणीय प्रश्न कमांक 2 एवं 3** का निष्कर्ष **प्रमाणित होना** पाता हूं।

: विचारणीय प्रश्न कमांक 01 एवं 04 पर सकारण निष्कर्ष :

09— वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व प्रमाणित करने का प्रारंभिक भार परिवादी पर होता है, धारा 139 एन.आई.एक्ट. की उपधारणा के कारण इस प्रमाण भार का दायित्व समाप्त नहीं होता, जैसा कि माननीय न्याय दृष्टांत **कृष्ण जनार्दन भट्ट विरूद्ध दत्तात्रय जी. हेगडे (2008) 4 एस.सी. सी. 54** एवं **पी. वेणु गोपाल विरूद्ध मदन पी. सारथी ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 568** में प्रतिपादित किया गया है। यदि परिवादी वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व प्रारंभिक रूप से प्रमाणित कर देता है, तो उसके पक्ष में धारा 139 एन. आई.एक्ट. की उपधारणा लेना आज्ञापक है। इसी प्रकार माननीय न्याय दृष्टांत **रंगप्पा विरूद्ध मोहन ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 1898** में तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ ने यह प्रतिपादित किया है कि धारा 139 एन.आई. एक्ट की उपधारणा में वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व में होना शामिल होता है।

10— माननीय न्याय दृष्टांत **Sripati Singh v. State of Jharkand 2021 SCC OnLine SC 1002** में अवधारित है, कि–17. A cheque issued as security pursuant to a financial transaction cannot be considered as a worthless piece of paper under every circumstance. 'Security' in its true sense is the state of being safe and the security given for a loan is something given as a pledge of payment. It is given, deposited or pledged to make certain the fulfilment of an obligation to which the parties to the transaction are bound. If in a transaction, a loan is advanced and the borrower agrees to repay the amount in a specified timeframe and issues a cheque as security to secure such repayment; if the loan amount is not repaid in any other form before the due date or if there is no other understanding or agreement between the parties

to defer the payment of amount, the cheque which is issued as security would mature for presentation and the drawee of the cheque would be entitled to present the same. On such presentation, if the same is dishonoured, the consequences contemplated under Section 138 and the other provisions of N.I. Act would flow. अर्थात्~ वित्तीय लेन–देन के लिए सुरक्षा के रूप में जारी किए गए चेक को हर परिस्थिति में बेकार कागज़ नहीं माना जा सकता। 'सुरक्षा' अपने सही अर्थों में सुरक्षित होने की स्थिति है, और ऋण के लिए दी गई सुरक्षा, भुगतान की प्रतिज्ञा के रूप में दी गई चीज़ है। यह किसी दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है, जमा की जाती है या गिरवी रखी जाती है, जिसके लिए लेन–देन के पक्षकार बाध्य होते हैं। यदि किसी लेन–देन में ऋण दिया जाता है और उधारकर्ता निर्दिष्ट समय–सीमा में राशि चुकाने के लिए सहमत होता है और इस तरह के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा के रूप में चेक जारी करता है , यदि ऋण राशि को नियत तिथि से पहले किसी अन्य रूप में चुकाया नहीं जाता है या यदि राशि के भुगतान को स्थगित करने के

लिए पक्षों के बीच कोई अन्य समझ या समझौता नहीं होता है, तो सुरक्षा के रूप में जारी किया गया चेक प्रस्तुति के लिए परिपक्व हो जाएगा और चेक का आहर्ता उसे प्रस्तुत करने का हकदार होगा। ऐसी प्रस्तुति पर, यदि वह अनादरित होता है, तो धारा 138 एनआई अधिनियम के अन्य प्रावधानों के तहत परिकल्पित परिणाम सामने आएंगे।

11— उक्त संबंध में परिवादी चन्द्रकुमार बघेल (प0सा0—1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका—03 में इस सुझाव को स्वीकार किया है, कि दिनांक 06/09/2023 को अभियुक्त ने उसे 1,00,000/— रूपये आनलाईन प्रदाय किया था। इस तथ्य पर परिवादी का स्पष्टीकरण है, कि अभियुक्त रेखराज ने उससे जुलाई 2023 में पुनः एक लाख की मांग किया था जिसे नगद प्रदान किया उसी राशि को दिनांक 06.09.2023 को वापस किया गया। इस प्रकार परिवादी ने प्रतिपरीक्षण कण्डिका—4 में स्वीकर किया है, कि पुनः एक लाख रूपये प्रदायगी और प्राप्ति का परिवाद पत्र तथा शपथपूर्वक साक्ष्य में उल्लेख नही है। साक्षी उजितराम (प0सा0—2) ने परिवादी चन्द्रकुमार को चार लाख रूपये चेक के माध्यम से तथा एक लाख रूपये नगद दिया

जाना व्यक्त किया , यद्यपि इस सबंध में कोई दस्तावेज साक्षी उजितराम ने प्रस्तुत नही किया है, किन्तु परिवादी द्वारा बैंक स्टेटमेंट दिनांक 03/06/2022 के अनुसार परिवादी के खाता से पांच लाख रूपये चेक के माध्यम से अभियुक्त रेखराज को स्थानांतरित किया जाना दर्शित है। उक्त स्वीकारोक्ति पर भी अभियुक्त ने धारा 313 द0प्र0सं0 के परीक्षण में कोई स्पष्टीकरण नही दिया है और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। वस्तुतः अभियुक्त के द्वारा मूल ऋण देयता पर आंशिक भुगतान के संबंध में प्रमाणिक साक्ष्य नही है तथा यह दायित्व अभियुक्त पर है, कि आंशिक भुगतान होने पर वर्तमान प्रश्नागत् धनादेश इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि अभियुक्त के द्वारा किसी संव्यवहार के तहत परिवादी को प्रश्नागत चेक प्रदान किया था।

12— धारा 139 एन.आई.एक्ट. की उपधारणा को खंडित करने का भार अभियुक्त पर होता है। यदि चैक प्रतिफल के लिए जारी किया जाना प्रमाणित हो जाता है तब इसके विपरीत प्रमाणित करने का भार अभियुक्त पर होता है। परिवादी के पक्ष

में धारा 118 एन.आई.एक्ट. की उपधारणा भी होती है कि कोई निगोषिएबल इन्सटूमेन्ट प्रतिफल के लिए जारी किया गया है। केवल प्रतिफल से इन्कार करने से यह प्रमाण भार उन्मोचित नहीं होता है। अभियुक्त को यह प्रमाणित करना होता है, कि कोई ऋण या दायित्व नहीं था, इस संबंध में माननीय न्याय दृष्टांत **के.एन. बीना विरूद्ध मूनियाप्पन 2002 (1) ए.एन.जे. 175** एवं **एस.सी. हितेन पी. दलाल विरूद्ध ब्रतिन्द्र नाथ बैनर्जी (2001) 6 एस.सी.सी 16** अवलोकनीय है। धारा 139 व 118 ए एन. आई.एक्ट. की उपधारणाओं के खंडन के लिए और प्रतिफल का अस्तित्व नासाबित करने के लिए अभियुक्त को प्रत्यक्ष साक्ष्य देना आवश्यक नहीं होता है, अधिसंभावनाओं की प्रबलता का अनुमान अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और परिस्थितियों से भी अनुमान लगा सकते हैं, इस संबंध में माननीय न्याय दृष्टांत **रेवेरेन्ड मदर मारिये कुट्टी विरूद्ध रेनी सी. कोट्टारम (2013) 1 एस.सी.सी. 327** अवलोकनीय है। माननीय न्याय दृष्टांत **विजय विरूद्ध लक्ष्मण, 2013 (3) क्राईम्स 246 एस.सी.** के अनुसार वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व की उपधारणा का खण्डन करने का भार उस समय उन्मोचित हो जाता है जब

अभियुक्त यह दर्षा दे की उसका कथन युक्तियुक्त रूप से संभव है। माननीय न्याय दृष्टांत **कमला विरूद्ध विद्याधरन एम.जे. (2007) 5 एस.सी.सी. 264** में यह प्रतिपादित किया गया है, कि धारा 139 व 118 ए एन.आई.एक्ट. की उपधारणाएं खंडित हुई या नहीं यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है, यह उपधारणाएं युक्तियुक्त संदेह से परे खंडित करना आवश्यक नहीं होता है, वरन् उपधारणाएं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और परिस्थितियों से भी खंडित हो सकती हैं।

13— इस प्रकार अभियुक्त और परिवादी के मध्य संव्यवहार में अभियुक्त द्वारा चेक को किसी दायित्व के परिपेक्ष्य में चेक प्रदान किया गया था। उपरोक्तानुसार परिवादी और अभियुक्त के मध्य प्रत्यक्षतः किसी ऋण या दायित्व का संव्यवहार होकर चेक प्रदाय किया जाकर प्रतिफल के रूप में था। और उक्त परिपेक्ष्य में अभियुक्त द्वारा प्रतिफल स्वरूप चेक परिवादी को प्रदाय किया जाना दर्शित है , तदनुसार विचारणीय प्रश्न कमांक **1** एवं **4** का निष्कर्ष **प्रमाणित** होना पाता हूँ।

14— उपरोक्त साक्ष्य विवेचन का सार यह है, कि परिवादी ने अभियुक्त के विरूद्ध अपना मामला युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है। अतः अभियुक्त रेखराज खेलवार के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का आरोप प्रमाणित होने से उसे उक्त अपराध में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

15— प्रकरण में अभियुक्त एक वयस्क व्यक्ति है, तथा बैंक खाता धारक है, अतः यह अपेक्षित है, कि अभियुक्त अपने द्वारा जारी चेक अनादरण के कृत्य के परिणाम एवं उसके संबंध में आकर्षित होने वाले दाण्डिक प्रावधानों से भली भांति अवगत था एवं तत्पश्चात् उसके द्वारा उक्त आशय का अपराध कारित किया गया। इसके अतिरिक्त चूंकि अपराध आर्थिक संव्यवहार से सम्बंधित है, अतः इस प्रकरण में अभियुक्त को परीवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

16— अतः अभियुक्त रेखराज खेलवार को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1882 के अंतर्गत 06 माह का साधारण कारावास की सजा एवं धारा 357(3) दं.प्र.सं./395(3) बी.एन.एस.एस. के तहत ₹6,00,000/— (अक्षरी छः लाख रूपये) प्रतिकर अधिरोपित की जाती है, प्रतिकर राशि परिवादी चन्द्रकुमार बघेल को प्रदान की जावे। प्रतिकर राशि अदा न करने पर अभियुक्त को पृथक से 06 माह का साधारण कारावास भुगतायी जावे। प्रतिकर की राशि धारा 421 द.प्र.सं. /461 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत जुर्माने के रूप में वसूलनीय होगा।

17— अभियुक्त रेखराज खेलवार के जमानत/बंधपत्र भारमुक्त किए जाते है, तथा निर्णय पूर्व प्रस्तुत धारा 437 (ए) द. प्र.स./481 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत जमानत/बंधपत्र निर्णय दिनांक से छः माह के अवधि तक विस्तारित रहेंगे।

18— अभियुक्त रेखराज खेलवार की अभिरक्षा अवधि निरंक है।

19— धारा 363 द.प्र.सं./404 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अभियुक्त रेखराज खेलवार को निर्णय प्रति निः शुल्क प्रदान की जावे।

20— प्रकरण में संलग्न दस्तावेज अभिलेख का भाग होगा। अपील किये जाने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकृत किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया	मेरे द्वारा टंकित
सही/—	**सही/—**
(राधेश्याम ध्रुव) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बलौदाबाजार (छ0ग0)	(राधेश्याम ध्रुव) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला बलौदाबाजार (छ0ग0)

RADHESHYAM DHRUW

Digitally signed by RADHESHYAM DHRUW
Date: 2025.03.05 18:49:57 +0530

न्यायिक अभिरक्षा प्रमाण पत्र (अंतर्गत धारा 428 द0प्र0सं0)

अभियुक्त का नाम एवं पता	**प्रकरण कमांक/ अपराध धारा**	**न्यायिक अभिरक्षा की कुल अवधि**
रेखराज खेलवार पिता श्री गोवर्धन दास निवासी– ग्राम हाउस नंबर 201 ब्लॉक नंबर 4–ए विंग पुलिस हाउसिंग कालोनी अमलीडीह रायपुर जिला– रायपुर, (छ0ग0)	816/2023 धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम	निरंक

सही/–

(राधेश्याम ध्रुव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला बलौदाबाजार (छ0ग0)

RADHESHYAM DHRUW

Digitally signed by RADHESHYAM DHRUW
Date: 2025.03.05 18:50:03 +0530